<u>प्रैस विज्ञप्ति – 2012–13</u>

उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2012–13 में केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाऐं सन्चालित की जानी है, जिस के लिए पात्र छात्र/छात्राओं से छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जा रहे हैं: –

1. <u>कल्पना चावला छात्रवृति योजना : –</u>

यह छात्रवृति योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10+2 की 2000 छात्राओं को योग्यता के आधार पर ग्रुप वाईज सांईस, कला और वाणिज्य संकाय के आधार पर उतीर्ण अनुपात के अनुसार हि. प्र. बोर्ड आफ स्कूल ऐजूकेशन धर्मशाला कांगडा द्वारा जारी की गई मैरिट सूचि के आधार पर ₹15000/– की राशि प्रदान की जाएगी तथा नवीनीकरण की राशि कोर्स के समाप्त होने तक प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी ।

2. <u>अटल प्रोत्साहन योजना : –</u>

यह छात्रवृति योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के विद्यार्थियों को जिनका चयन और प्रवेश (आईआईटी) प्रौद्यौगिकी या आल इंडिया इंस्टीचयूट आफ मैडीकल सांईसिज (आखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान) एवं मैनेजमैन्ट (आईआईएम) में किसी भी भारतीय संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए हुआ हो। उन विद्यार्थियों को ₹31000/– की राशि प्रोत्साहन/पुरस्कार के रूप में देय होगी। सभी पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ चयन/प्रवेश प्रमाण पत्र संलग्न करें।

3. <u>पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति वर्ग के लिये : –</u>

यह केन्द्रीय प्रायोजित प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना भारत सरकार द्वारा वर्षः–2012–13 (1 जुलाई, 2012) से आरम्भ की गई है। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से उच्चतर शिक्षा निदेशालय हि. प्र. में कार्यान्वित की जा रही है। यह छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए देय है। पात्र छा़त्र/छात्रा 9वीं व 10वीं कक्षा में किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हो। पात्र छात्र/छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नही होनी चाहिए। प्रात्र छात्रावासी छात्र/छात्रा को 10 मास की छात्रवृति ₹350/– प्रति मास +निर्वाह भता ₹1000/– प्रति वर्ष के हिसाब से देय है। प्रात्र दिवा छात्र/छात्रा को 10 मास की छात्रवृति ₹150/– प्रति मास +निर्वाह भता ₹750/– प्रति वर्ष के हिसाब से देय है। छात्रवृति का नवीनीकरण छात्र/छात्रा के अच्छे आचरण,शत–प्रतिशत उपस्थिति एवं 9वीं कक्षा उतीर्ण के पश्चात देय होगा। आवेदन पत्र के साथ अनु0 जा0 का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

4. <u>पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जन–जाति वर्ग के लिये : –</u>

यह केन्द्रीय प्रायोजित प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना भारत सरकार द्वारा वर्षः–2012–13 (1 जुलाई, 2012) से आरम्भ की गई है। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से उच्चतर शिक्षा निदेशालय हि. प्र. में कार्यान्वित की जा रही है। यह छात्रवृति योजना अनुसूचित जन–जाति के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए देय है। पात्र छा़त्र/छात्रा 9वीं व 10वीं कक्षा में किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हो। पात्र छात्र/छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नही होनी चाहिए। प्रात्र छात्रावासी छात्र/छात्रा को 10 मास की छात्रवृति ₹350/– प्रति मास +निर्वाह भता ₹1000/– प्रति वर्ष के हिसाब से देय है। प्रात्र दिवा छात्र/छात्रा को 10 मास की छात्रवृति ₹150/– प्रति मास +निर्वाह भता ₹750/– प्रति वर्ष के हिसाब से देय है। छात्रवृति का नवीनीकरण छात्र/छात्रा के अच्छे आचरण,शत–प्रतिशत उपस्थिति एवं 9वीं कक्षा उतीर्ण के पश्चात देय होगा। आवेदन पत्र के साथ अनु0 जा0 का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

5. **डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति (SC / OBC), स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति, और ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति (केवल नवीनीकरण मामले) : –**

केवल उन आवेदकों के छात्रवृति आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु स्वीकार किए जाऐंगे, जिन्हें पिछले वर्ष इन योजनाओं के अर्न्तगत छात्रवृति राशि आबन्टित की गई है। परन्तु ऐसे बहुत से लाभार्थी छात्र/छात्राओं के छात्रवृति आवेदन पत्र अभी भी इस निदेशालय में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए ऐसे लाभार्थी छात्र/छात्राऐं अपने छात्रवृति आवेदन पत्र सही बैंक सम्बन्धित सूचना (बैंक और शाखा का नाम, खाता संख्या और IFS कोड) के साथ सम्बन्धित *उप शिक्षा निदेशक के पास जमा करवाऐं।*

टिप्पणी (क्रम संख्या 1 और 2 के लिए) : –

छात्रों द्वारा इस निदेशालय में फार्म जमा करने की अंतिम तिथि : – 15–12–2012। नियत तिथि के बाद कोई भी फार्म इस निदेशालय में नहीं लिया जाएगा।

टिप्पणी (क्रम संख्या 3 और 5 के लिए) : –

छात्रों/संस्थान द्वारा सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को फार्म जमा करने की अंतिम तिथि है: – 15–12–2012।

उप शिक्षा निदेशक द्वारा इस निदेशालय में फार्म जमा करने की अंतिम तिथि: – 20–12–2012। नियत तिथि के बाद कोई भी फार्म इस निदेशालय में नहीं लिया जाएगा।

विशेष टिप्पणी : –

विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 से निम्न जिन छात्रों ने निम्नलिखित छात्रवृति योजनाओं के तहत e-Pass Software के माध्यम से छात्रवृति की राशी आबन्टित की जानी है। जिन पात्र छात्र/छात्रोंओं ने इन छात्रवृति योजनाओं के अंर्तगत छात्रवृति आवेदन पत्र जमा करवा रखे हैं, उनसे उनकी बैंक सम्बन्धित सूचना (बैंक और शाखा का नाम, खाता संख्या और IFS कोड) वांछित है, जो सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक या इस निदेशालय को अविलम्ब पहुंच जानी चाहिए, जिससे छात्रवृति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली जा सके तथा e-Pass Software को लागू किया जा सके :–

1. *डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति*
2. *स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति*
3. *ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति*
4. *महर्षि वाल्मीकि छात्रवृति योजना*
5. *कल्पना चावला छात्रवृति योजना*
6. *अटल प्रोत्साहन योजना*
7. *अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रो के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना*

अधिक जानकारी के लिए इस निदेशालय की वेबसाईट www.educationhp.org पर लॉगऑन करें।

(दिनकर बुराथोकी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।